Daily Current Affairs

Date : 27 June, 2026

UTKARSH CLASSES CIVIL SERVICES

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	हील इन राजस्थान पॉलिसी – 2025
2.	राजस्थान में वन प्रबंधन का डिजिटल प्लेटफॉर्म : 'डिजिवन' (DigiVan)
3.	राजस्थान में पहली बार आयोजित हुआ 'अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस'
4.	थेवा (Thewa) कला
5.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर : 'मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' के वैश्विक अवार्ड से सम्मानित 2. 'अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली (PCMS)' का शुभारंभ 3. 'राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन' में राजस्थान 4. रोहित कुमार : नई दिल्ली में राजस्थान के नए प्रमुख आवासीय आयुक्त 5. क्रिकेटर जय मूंदड़ा 6. लोकतंत्र सेनानी सम्मान के अंतर्गत पेंशन राशि में वृद्धि
6.	पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं: विदेश मंत्रालय
7.	पद्म पुरस्कार
8.	कैस्पियन सागर
9.	भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा का विस्तार
10.	केंद्र सरकार द्वारा NGOs हेतु FCRA नियम सख्त
11.	भारती (BHARATI) कार्यक्रम
12.	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट
13.	भारत–तुर्किये संबंध
14.	कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल

राजस्थान परिदृश्य

हील इन राजस्थान पॉलिसी – 2025

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान सरकार द्वारा 'हील इन राजस्थान पॉलिसी - 2025' के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति तथा चिकित्सा शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में तकनीकी समिति गठित की गई है।

मुख्य बिन्दु:

- साथ ही, सरकार द्वारा 'हील इन राजस्थान पॉलिसी' के अंतर्गत 'मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पोर्टल' और मोबाइल एप विकसित किया जा रहा है, जिससे मरीजों को उपचार संबंधी सभी आवश्यक जानकारियाँ एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध कराई जा सकेगी।

हील इन राजस्थान पॉलिसी - 2025 :

- राजस्थान को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढाँचे के साथ–साथ प्रमुख 'मेडिकल टूरिज्म हब' बनाने के उद्देश्य से राजस्थान मंत्रिमण्डल द्वारा मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी (हील इन राजस्थान पॉलिसी) - 2025 के प्रारूप का अनुमोदन जुलाई, 2025 में किया गया।

नीति के उद्देश्य :

- राजस्थान को सुलभ, किफायती लागत और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू ट्रेवल (MVT) डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना।
- स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्रों को एकीकृत करके आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देना।
- इस नीति के तहत निवेशकों को राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (RIPS), राजस्थान औद्योगिक विकास नीति और पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जायेंगे तथा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) और वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) का भी उपयोग किया जाएगा।

फायदे :

- गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ मेडिकल वैल्यू ट्रेवल (MVT) से जुड़े डिजिटल इकोसिस्टम का विकास सुनिश्चित होगा।
- राजस्थान में स्थित मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित हो सकेंगे।
- पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों; जैसे - आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध को बढ़ावा मिलेगा।
- इस पॉलिसी के तहत एक समर्पित MVT सेल की स्थापना की जायेगी तथा MVT सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाताओं को प्रमाणित किया जायेगा।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- पॉलिसी के तहत टेलीमेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी और एप-आधारित डायग्नोस्टिक्स में प्रगति को बढ़ावा दिया जायेगा। साथ ही, टेलीकंसल्टेशन और बहुभाषी हेल्पलाइन सेवाएँ स्थापित की जाएगी।

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

Q. 1 'हील इन राजस्थान पॉलिसी - 2025' के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

(i) कार्यकारी समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है।

(ii) तकनीकी समिति का गठन चिकित्सा शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल i

(b) केवल ii

(c) i और ii दोनों

(d) न तो i और न ही ii

CIVIL SERVICES

राजस्थान में वन प्रबंधन का डिजिटल प्लेटफॉर्म : 'डिजिवन' (DigiVan)

चर्चा में क्यों?

- डिजिवन (DigiVan) पोर्टल राजस्थान वन विभाग का एक मल्टी-लेयर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो वन और वन्यजीव प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा एनालिटिक्स को एकीकृत करता है।

मुख्य बिन्दु:

- यह भारत का पहला और एकमात्र एकीकृत डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक (Digital Forest Stack) है, जिसे वन प्रबंधन में उच्च पारदर्शिता, सटीकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने के लिए विकसित किया गया है।
- **विकास :** इस प्लेटफ़ॉर्म का विकास राजस्थान वन विभाग द्वारा जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) और DXLab के सहयोग से किया गया है।
- **प्लेटफॉर्म का नया मॉड्यूल :** वर्ष 2026 के अंतरराष्ट्रीय वन दिवस (21 मार्च) के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 'DigiVan' डिजिटल प्लेटफॉर्म के PoC-3 एवं PoC-4 (प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट) मॉड्यूल्स को लॉन्च किया।

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

Q. 1 डिजिवन (DigiVan) पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

(i) यह राजस्थान वन विभाग का मल्टी-लेयर डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

(ii) इसमें वन और वन्यजीव प्रबंधन के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स को एकीकृत किया गया है।

(iii) इसे केवल वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल (i)

(b) केवल (i) और (ii)

(c) केवल (ii) और (iii)

(d) (i), (ii) और (iii)

Q. 2 डिजिवन (DigiVan) डिजिटल प्लेटफॉर्म के PoC-3 एवं PoC-4 मॉड्यूल्स को कब लॉन्च किया गया?

(a) विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर।

(b) अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2026 के अवसर पर।

(c) राजस्थान स्थापना दिवस 2026 के अवसर पर।

(d) राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2026 के दौरान।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

राजस्थान में पहली बार आयोजित हुआ 'अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस'

चर्चा में क्यों?

- 27 जून, 2026 को राजस्थान में पहली बार 'अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस' मनाया गया।

मुख्य बिन्दु:

- **आयोजन स्थल :** कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, जयपुर।
- **आयोजक :** उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान।
- **वर्ष 2026 का विषय :** नवाचार और सतत औद्योगिक विकास के माध्यम से MSME को सशक्त बनाना।

- इस आयोजन के दौरान 'राजस्थान इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट पॉलिसी', 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट (ODOP) कॉफी टेबल बुक' और 'राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस (RAMP) पोर्टल' को राजस्थान में लॉन्च किया गया।

राजस्थान इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट पॉलिसी – 2026:

- प्रदेश को वैश्विक औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से जारी।
- **4G विजन :** Green, Governance, Growth एवं Globalization पर आधारित।
- **उद्देश्य :** इस नीति का उद्देश्य औद्योगिक विकास को नई गति देते हुए वर्ष 2028-29 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुंचाना है।

राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSMEs परफॉर्मेंस (RAMP) पोर्टल:

- RAMP पोर्टल केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पहल है, जो विश्व बैंक समर्थित केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'RAMP' के अंतर्गत कार्य करती है।
- इस एकल खिड़की (Single Sign-On) राष्ट्रीय पोर्टल का मुख्य उद्देश्य देश के MSME क्षेत्र की क्षमता, उत्पादकता और बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

राजस्थान MSME पॉलिसी - 2024 :

- **अवधि :** 8 दिसंबर, 2024 से 31 मार्च, 2029 तक।

मुख्य प्रावधान:

प्रावधान	विवरण
ऋण पर ब्याज सब्सिडी	नई एवं मौजूदा MSME इकाइयों के लिए ₹50 करोड़ तक की ऋण राशि पर ब्याज सब्सिडी। चयनित इकाइयों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी।
इक्विटी पूँजी सहायता	लघु एवं मध्यम उद्यमों को NSE/BSE एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में पूँजी जुटाने हेतु ₹15 लाख तक की एकमुश्त सहायता।

प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों से उन्नत प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय का 50 प्रतिशत (₹5 लाख तक) सहायता।
मानक प्रमाणन एवं बौद्धिक संपदा सहायता	राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानक प्रमाणन और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) हेतु किए गए व्यय का 50 प्रतिशत (₹3 लाख तक) प्रतिपूर्ति।
व्यापार मेलों में भागीदारी सहायता	राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए स्टॉल किराए और 2 व्यक्तियों के यात्रा व्यय का 75 प्रतिशत (अधिकतम ₹1.5 लाख)।
डिजिटलीकरण सहायता	डिजिटलीकरण में किए गए व्यय का 75 प्रतिशत (अधिकतम ₹50,000) प्रतिपूर्ति।
ई-कॉमर्स प्रोत्साहन	ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क का 75 प्रतिशत (अधिकतम ₹50,000) प्रतिपूर्ति।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- **राजस्थान MSME दिवस :** 17 सितंबर को मनाया जाता है।
- **MSME Tech सेंटर :** भिवाड़ी।
- **MSME की निवेश और टर्न ओवर सीमाओं में बदलाव :** केंद्र सरकार द्वारा बजट - 2025-26 में MSME के वर्गीकरण के लिए निवेश में 2.5 गुणा एवं टर्नओवर में 2 गुणा वृद्धि की गई।

उद्यम की श्रेणी	निवेश सीमा	वार्षिक टर्नओवर
सूक्ष्म (Micro)	₹2.5 करोड़ तक (पहले ₹1 करोड़)	₹10 करोड़ तक (पहले ₹5 करोड़)
लघु (Small)	₹25 करोड़ तक (पहले ₹10 करोड़)	₹100 करोड़ तक (पहले ₹50 करोड़)
मध्यम (Medium)	₹125 करोड़ तक (पहले ₹50 करोड़)	₹500 करोड़ तक (पहले ₹250 करोड़)

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

Q. 1 राजस्थान में पहली बार 'अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस' कब और कहाँ मनाया गया?

(a) 10 जून, 2026 — MSME Tech सेंटर, भिवाड़ी

(b) 27 जून, 2026 — कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, जयपुर

(c) 21 मार्च, 2026 — कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, जयपुर

(d) 18 फरवरी, 2026 — उद्योग भवन, जयपुर

Q. 2 राजस्थान इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट पॉलिसी–2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

(i) यह नीति प्रदेश को वैश्विक औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से जारी की गई।

(ii) इसका 4G विजन Green, Governance, Growth एवं Globalization पर आधारित है।

(iii) इसका उद्देश्य वर्ष 2028-29 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुँचाना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल (i)

(b) केवल (i) और (ii)

(c) केवल (ii) और (iii)

(d) (i), (ii) और (iii)

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

थेवा (Thewa) कला

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी हालिया स्लोवाकिया यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को थेवा कला से निर्मित कफ़लिंक भेंट किए।

मुख्य बिन्दु:

थेवा कला:-

- थेवा कला राजस्थान के प्रतापगढ़ की भारत की सर्वाधिक विशिष्ट पारम्परिक हस्तकलाओं में से एक है।
- यह कला लगभग 400 वर्ष पुरानी है तथा इसकी उत्पत्ति मुगल काल से मानी जाती है।
- यह रंगीन काँच पर की जाने वाली जटिल स्वर्ण नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है।
- इसमें 23 कैरेट सोने से अत्यंत बारीक आकृतियाँ बनाकर उन्हें बहुरंगी काँच की सतह पर जड़ा जाता है।
- इस कला को वर्ष 2014 में भौगोलिक संकेतक (GI Tag) प्रदान किया गया।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

✂️ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	**ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर : 'मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' के वैश्विक अवार्ड से सम्मानित** ▪ हाल ही में, राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर को 'मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (इंडिया)' द्वारा वैश्विक अवार्ड से सम्मानित किया गया। ▪ ज्ञातव्य है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युतगृहों की कोयला आधारित कुल क्षमता 7580 मेगावाट (MW) की 23 इकाइयों ने 2 जून, 2026 को उत्पादन निगम के गठन से लेकर अब तक का उच्चतम (7171 मेगावाट) विद्युत उत्पादन करते हुए सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की। ▪ साथ ही, 2 जून, 2026 को ही सूरतगढ़ थर्मल विद्युतगृह की सभी 8 इकाइयों की कुल क्षमता 2820 मेगावाट द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ (2790 मेगावाट) उत्पादन किया गया।
2.	**'अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली (PCMS)' का शुभारंभ** ▪ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 25 जून, 2026 को सवाई माधोपुर से 'अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली' का राज्यस्तरीय शुभारंभ किया। ▪ अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली (PCMS) राज्य सरकार की ओर से अभियोजन विभाग की कार्य-व्यवस्था को पूर्णतः आधुनिक एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विकसित की गई है। ▪ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) तथा ई-कोर्ट प्रणाली से एकीकृत यह व्यवस्था FIR से लेकर अंतिम निर्णय तक प्रकरणों की रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑनलाइन केस ट्रैकिंग, त्वरित रिपोर्टिंग एवं प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करती है। ▪ नोट : इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने 'राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन' की नव-निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा पुरोहित और उनकी प्रदेश कार्यकारिणी को शपथ दिलाई।

3.	**‘राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन’ में राजस्थान** ■ श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) में आयोजित ‘राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन’ में 'व्यवसाय विविधीकरण के माध्यम से PACS को सशक्त बनाना' विषय पर राजस्थान की उपलब्धियों और नवाचारों को देश भर में सराहा गया। ■ **राजस्थान का प्रतिनिधित्व :** सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा द्वारा। ■ उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार की ‘सहकार से समृद्धि’ एवं ‘सहकारिता में सहकार’ पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है। ■ साथ ही, राजस्थान 1969 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन, 6753 सहकारी समितियों को भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता, 120 गोदामों के निर्माण तथा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) में 10.91 करोड़ प्रविष्टियों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है।
4.	**रोहित कुमार : नई दिल्ली में राजस्थान के नए प्रमुख आवासीय आयुक्त** ■ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 1997 बैच के अधिकारी रोहित कुमार को नई दिल्ली में राजस्थान का नया प्रमुख आवासीय आयुक्त नियुक्त किया गया। ■ प्रमुख आवासीय आयुक्त के रूप में रोहित कुमार नई दिल्ली में राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ राज्य से संबंधित मामलों के प्रभावी संचालन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
5.	**क्रिकेटर जय मूंदड़ा** ■ टोंक निवासी क्रिकेटर जय मूंदड़ा ने हाल ही में आयरलैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की ओर से भारत के खिलाफ अपना पदार्पण मैच खेला।
6.	**लोकतंत्र सेनानी सम्मान के अंतर्गत पेंशन राशि में वृद्धि** ■ हाल ही में, राजस्थान सरकार ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन की राशि को ₹20,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रतिमाह करने की घोषणा की। ■ साथ ही, सरकार द्वारा चिकित्सा सहायता राशि ₹5,000 करने का निर्णय लिया गया और उन्हें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

Q. 1 राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर को हाल ही में किस संस्था द्वारा वैश्विक अवार्ड से सम्मानित किया गया?

(a) इंटरनेशनल एनर्जी काउंसिल

(b) मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (इंडिया)

(c) नेशनल पावर मैनेजमेंट बोर्ड

(d) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम

Q. 2 'राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन' में राजस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सत्य हैं?

(i) यह सम्मेलन श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आयोजित हुआ।

(ii) राजस्थान का प्रतिनिधित्व डॉ. समित शर्मा द्वारा किया गया।

(iii) राजस्थान 1969 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन में देश में प्रथम स्थान पर है।

(iv) ERP में 10.91 करोड़ प्रविष्टियों के साथ राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है।

कूट:

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) सभी चार

Q. 3 'अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली (PCMS)' का राज्यस्तरीय शुभारंभ किसने और कहाँ से किया?

(a) मुख्यमंत्री ने जयपुर से

(b) लोकसभा अध्यक्ष ने सवाई माधोपुर से

(c) राज्यपाल ने कोटा से

(d) मुख्य न्यायाधीश ने जोधपुर से

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

राष्ट्रीय परिदृश्य

पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं: विदेश मंत्रालय

चर्चा में क्यों?

- विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज़ है और इसे नागरिकता का अंतिम अथवा निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए।

मुख्य बिन्दु:

- भारतीय पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज़ है।
- यह अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए धारक की पहचान एवं राष्ट्रीयता का प्रमाण प्रदान करता है तथा विदेश में भारतीय दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों से कांसुली सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- इनका निर्माण अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) द्वारा निर्धारित बायोमेट्रिक यात्रा दस्तावेज़ों के मानकों के अनुरूप किया जाता है।

नागरिकता

- संविधान के अनुसार नागरिकता संघ सूची का विषय है, अतः यह संसद के विशिष्ट अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
- संविधान में 'नागरिक' शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है, किन्तु नागरिकता प्राप्त करने के पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख भाग-2 (अनुच्छेद 5 से 11) में किया गया है।

भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके

- नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पाँच तरीके हैं:
  - जन्म द्वारा नागरिकता।
  - वंश के आधार पर नागरिकता।
  - पंजीकरण द्वारा नागरिकता।
  - देशीयकरण द्वारा नागरिकता।
  - क्षेत्र के भारत में विलय (भारत सरकार द्वारा) के आधार पर नागरिकता।

- भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है।
- यदि किसी व्यक्ति के पास कभी भारतीय पासपोर्ट रहा हो और उसने किसी अन्य देश की नागरिकता एवं पासपोर्ट प्राप्त कर लिया हो, तो उसे अपना भारतीय पासपोर्ट तत्काल समर्पित करना होगा।

भारतीय नागरिकता की समाप्ति

- **त्याग (Renunciation):** यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता भी रखता है तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार घोषणा करके भारतीय नागरिकता का त्याग कर देता है, तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहता।
- **समाप्ति (Termination):** यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अथवा जानबूझकर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है।
- **वंचित किया जाना (Deprivation):** कुछ परिस्थितियों में भारत सरकार किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। हालाँकि, यह सभी नागरिकों पर लागू नहीं होता।

इसके लिए निम्नलिखित आधार हैं:

- नागरिकता धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त की गई हो।
- नागरिक ने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठाहीनता प्रदर्शित की हो।
- युद्धकाल के दौरान नागरिक ने अवैध व्यापार किया हो या शत्रु के साथ अवैध सम्पर्क स्थापित किया हो।
- देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के पाँच वर्षों के भीतर संबंधित नागरिक को दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दण्ड मिला हो।
- नागरिक लगातार 7 वर्षों तक सामान्य रूप से भारत के बाहर निवास करता रहा हो।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

पद्म पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए।

मुख्य बिन्दु:

- पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।
- वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति प्रदान की, जिनमें—
- 5 पद्म विभूषण,13 पद्म भूषण,113 पद्म श्री शामिल हैं।

पद्म पुरस्कार:-

- वर्ष 1954 में स्थापित पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। इन्हें तीन श्रेणियों में प्रदान किया जाता है—
  - **पद्म विभूषण:** भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान।
  - **पद्म भूषण:** भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान।
  - **पद्म श्री:** भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान।
- ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, लोक-कार्य, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल तथा लोक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं।
- ये पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किए जा सकते हैं।

चयन प्रक्रिया

- नामांकन निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं—राज्य सरकारें,केंद्रीय मंत्रालय,पूर्व पद्म पुरस्कार विजेता,आम नागरिक।
- इनका परीक्षण प्रधानमंत्री द्वारा प्रति वर्ष गठित पद्म पुरस्कार समिति करती है। समिति की अनुशंसाएँ प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के अनुमोदन हेतु भेजी जाती हैं।

भूगोल एवं भू-विज्ञान

कैस्पियन सागर

चर्चा में क्यों?

- 1990 के दशक के मध्य से अब तक कैस्पियन सागर का सतही क्षेत्रफल लगभग 24,000 वर्ग किलोमीटर घट चुका है, जो भूमध्य सागर के सबसे बड़े द्वीप सिसिली के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है।

मुख्य बिन्दु:

- **कैस्पियन सागर: परिचय**
- **कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जल निकाय है, जो यूरोप और एशिया के मध्य स्थित है।**
- **इसकी सीमाएँ निम्नलिखित पाँच देशों से मिलती हैं;**
- **रूस, कज़ाख़स्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अज़रबैजान।**
- **इसमें गिरने वाली प्रमुख नदियाँ– वोल्गा नदी (सबसे बड़ी), यूराल नदी, कुरा नदी, तेरेक नदी।**

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

आर्थिक घटनाक्रम

भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा का विस्तार

चर्चा में क्यों?

- क्लाइमेट कम्पैटिबल फ्यूचर्स के हालिया विश्लेषण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आँकड़ों से पता चलता है कि भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा को अपनाने में उल्लेखनीय क्षेत्रीय असमानताएँ मौजूद हैं।

मुख्य बिन्दु:

भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थिति

- भारत की कुल रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता 25.7 गीगावाट (GW) तक पहुँच गई है। वर्ष 2026 की पहली तिमाही में ही 2.7 गीगावाट क्षमता जोड़ी गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 125% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाती है।
- गुजरात और महाराष्ट्र में स्थापित रूफटॉप सौर क्षमता, देश के शेष सभी राज्यों की संयुक्त क्षमता से भी अधिक हो गई है।

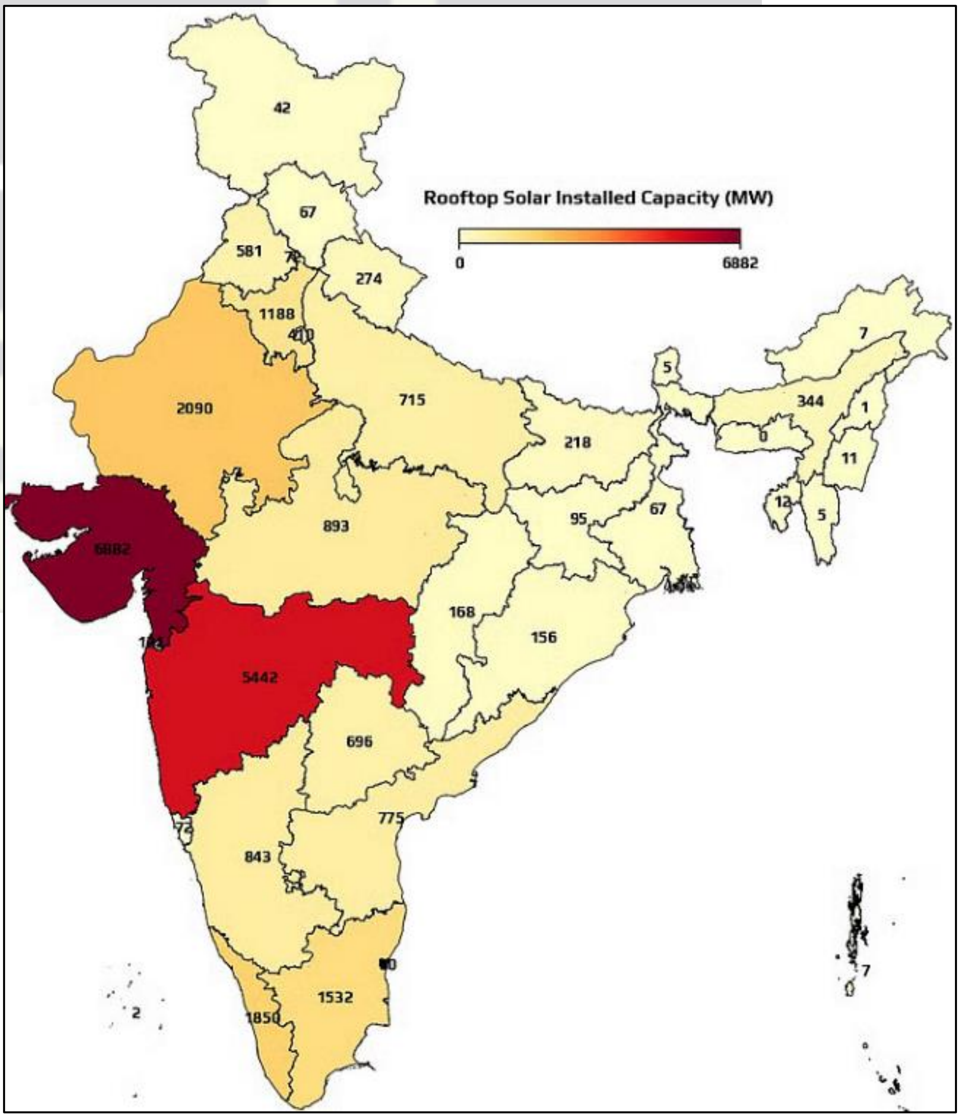

रूफटॉप सौर ऊर्जा के तीव्र विस्तार के कारण

- **पीएम सूर्य घर:** मुफ्त बिजली योजना (2024): इस योजना का उद्देश्य 1 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करना तथा आवासीय रूफटॉप सौर प्रणालियों के लिए ₹78,000 तक की सब्सिडी प्रदान करना है।
- वर्ष 2026 की प्रारम्भिक अवधि में रूफटॉप सौर क्षमता में हुई नई वृद्धि का लगभग 82% योगदान आवासीय उपभोक्ताओं का रहा।
- **अग्रणी राज्यों में सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र:** रूफटॉप सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्यों ने आवश्यक अवसंरचना विकसित की है, जहाँ ऋण की आसान उपलब्धता, दक्ष विद्युत वितरण कंपनियाँ तथा नेट-मीटरिंग की शीघ्र स्वीकृति जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

रूफटॉप सौर ऊर्जा का क्षेत्रीय वितरण:-

पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत का नेतृत्व

- भारत के शीर्ष 10 राज्यों में देश की लगभग 86% रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित है।

प्रमुख कारण:

- समयबद्ध सरकारी नीतियाँ।
- सुविकसित सौर ऊर्जा बाज़ार।
- बेहतर प्रदर्शन करने वाली विद्युत वितरण कंपनियाँ।
- विक्रेताओं एवं वित्तीय संस्थानों की पर्याप्त उपलब्धता।

पूर्वी भारत

- पर्याप्त धूप उपलब्ध होने के बावजूद पूर्वी राज्यों में रूफटॉप सौर ऊर्जा का विस्तार अपेक्षाकृत धीमा है।

कारण:

- वित्तीय संकट से जूझ रही विद्युत वितरण कंपनियाँ।
- स्थापना करने वाली एजेंसियों की कमी।
- ऋण सुविधाओं तक सीमित पहुँच।
- उपभोक्ताओं में जागरूकता का अभाव।
- नेट-मीटरिंग अनुमोदन में विलंब।

उत्तर-पूर्वी भारत

- केंद्र सरकार के बढ़ते समर्थन के बावजूद इस क्षेत्र में रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापना अभी भी सीमित है।

प्रमुख कारण:

- विक्रेताओं की कमी।
- विद्युत उपयोगिता संस्थाओं की सीमित क्षमता।
- अनुमोदन प्रक्रिया में विलंब।
- वित्तीय विकल्पों का अभाव।
- जन-जागरूकता की कमी।

विस्तार में बाधा बनने वाली प्रमुख चुनौतियाँ

संस्थागत चुनौतियाँ

- विद्युत वितरण कंपनियों की कमजोर वित्तीय स्थिति।
- नेट-मीटरिंग की स्वीकृति में विलंब।
- विभिन्न राज्य विभागों के बीच समन्वय का अभाव।

आर्थिक चुनौतियाँ

- वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच।
- सब्सिडी के बाद भी प्रारम्भिक लागत का अधिक होना।

बाज़ार संबंधी चुनौतियाँ

- पिछड़े क्षेत्रों में स्थापना एजेंसियों की अपर्याप्त उपलब्धता।
- बिक्री उपरांत सेवाओं के नेटवर्क का अभाव।

सामाजिक चुनौतियाँ

- सब्सिडी एवं लागत बचत के बारे में सीमित जानकारी।
- उपभोक्ताओं का कम विश्वास।

- अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) के नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2025 के अनुसार:
  - सौर ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है।
  - पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है।
  - कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भी चौथे स्थान पर है।
  - कार्यान्वयनाधीन एवं प्रस्तावित परियोजनाओं सहित भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 150 गीगावाट से अधिक हो चुकी है।
- भारत ने वर्ष 2030 के लिए निर्धारित अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले ही पार कर लिया है तथा वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है।

नीति आयोग के अनुसार:

- वर्तमान नीतिगत परिदृश्य में वर्ष 2050 तक सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 1,500 गीगावाट तक पहुँच सकती है।
- नेट ज़ीरो परिदृश्य में यही क्षमता लगभग 2,400 गीगावाट तक पहुँचने की संभावना है।
- अत: वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने में सौर ऊर्जा की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगी।

भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएँ:-

- भारत का तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC 3.0) मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) को प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृत किया गया, जिसके अंतर्गत भारत ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं—
- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी।
- वर्ष 2035 तक 60% स्थापित विद्युत क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना।

भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

केंद्र सरकार द्वारा NGOs हेतु FCRA नियम सख्त

चर्चा में क्यों?

- गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जिन्हें विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA) के अंतर्गत जारी किया गया है।

मुख्य बिन्दु:

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010

- FCRA का उद्देश्य विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उसके उपयोग को विनियमित करना है, ताकि राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों को रोका जा सके।
- यह अधिनियम पहली बार वर्ष 1976 में लागू किया गया था, किंतु बाद में इसे निरस्त कर वर्ष 2010 में नए कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। वर्ष 2020 में इसमें पुनः संशोधन किया गया।
- FCRA के अंतर्गत प्राप्त पंजीकरण की वैधता 5 वर्ष होती है तथा इसकी अवधि समाप्त होने से पूर्व इसका नवीनीकरण कराना आवश्यक है।

FCRA नियमों में प्रमुख संशोधन

- **गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की गतिविधियों का वर्गीकरण:** विदेशी निधि प्राप्त करने के इच्छुक NGOs को अब निम्नलिखित पाँच अनुमत श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत पंजीकरण कराना होगा—
  - सामाजिक
  - आर्थिक
  - शैक्षिक
  - सांस्कृतिक
  - धार्मिक

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- यह पहली बार है जब प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत NGOs के लिए पृथक गतिविधि-सूचियाँ निर्धारित की गई हैं।
- **अनिवार्य प्रकटीकरण:** अब NGOs को निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे—
  - उनकी गतिविधियों का विवरण।
  - कार्यक्रमों का भौगोलिक कार्यक्षे।
  - उनकी वेबसाइटों की जानकारी।
  - सोशल मीडिया खातों का विवरण।
  - प्रकाशनों की जानकारी।
- इसके अतिरिक्त, NGOs को प्रत्येक श्रेणी तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश, जहाँ वे कार्यरत हैं, के लिए अलग-अलग शुल्क का भुगतान करना होगा।
- **प्रमुख पदाधिकारियों की विस्तारित परिभाषा:** संशोधित नियमों के अंतर्गत NGO के "प्रमुख पदाधिकारी" की परिभाषा का विस्तार किया गया है। अब इसमें केवल पदाधिकारी और निदेशक ही नहीं, बल्कि निम्नलिखित व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे—
  - न्यासी।
  - साझेदार।
  - हिंदू अविभाजित परिवार का मुखिया।
  - शासी निकाय के सदस्य।
  - संगठन का नियंत्रण या प्रबंधन करने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति।
- इसके अतिरिक्त, जिन संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारियों में भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) को छोड़कर विदेशी नागरिक शामिल हैं, उन्हें सामान्यतः पंजीकरण अथवा पूर्व अनुमति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा विशेष अनुमति न दी जाए।

- **राज्यवार एवं श्रेणीवार पंजीकरण: संशोधित नियमों के अनुसार—**
    - पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा नवीन पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र में उन उद्देश्यों का स्पष्ट उल्लेख होगा, जिनके लिए पंजीकरण प्रदान किया गया है।
    - इन उद्देश्यों का चयन केवल नियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट सूची से ही किया जा सकेगा।
    - NGOs को उन राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों का भी उल्लेख करना होगा, जहाँ वे अपनी गतिविधियाँ संचालित करना चाहते हैं।
    - नियमों के अंतर्गत प्रत्येक निर्दिष्ट उद्देश्य तथा प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में कार्य संचालन के लिए पृथक शुल्क भी निर्धारित किया गया है।

संशोधित नियमों का महत्व:-

- NGOs की गतिविधियों तथा विदेशी वित्तपोषण के संबंध में अधिक प्रकटीकरण के माध्यम से पारदर्शिता में वृद्धि होगी।
- उद्देश्य-विशिष्ट एवं राज्य-विशिष्ट अनुमोदन प्रणाली निगरानी और जवाबदेही को सुदृढ़ बनाएगी।
- प्रमुख पदाधिकारियों की विस्तारित परिभाषा संगठनात्मक सुशासन और उत्तरदायित्व को बेहतर बनाएगी।
- विदेशी निधियों की ट्रेसबिलिटी में सुधार होगा तथा नियामकीय निगरानी अधिक प्रभावी बनेगी।

योजनाएँ एवं नीतियाँ

भारती (BHARATI) कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने भारती कार्यक्रम के प्रथम चरण का सफलतापूर्वक समापन किया।

मुख्य बिन्दु:

भारती कार्यक्रम

- भारती (भारत हब फ़ॉर एग्रीटेक, रिजिलिएन्स,एडवांसमेंट एंड इन्क्यूबेशन फ़ॉर एक्सपोर्ट इनोवेशन), एपीडा (APEDA) का प्रमुख निर्यात संवर्धन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि-खाद्य नवप्रवर्तक उद्यमों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निर्यातक बनाना है।

उद्देश्य:

- कृषि-खाद्य नवप्रवर्तक उद्यमों में 'निर्यात-प्रथम' (Export-first) दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
- वर्ष 2030 तक एपीडा (APEDA) के अधिसूचित उत्पादों के 50 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निर्यात-तैयार उद्यमों का विकास करना।
- उत्पाद विकास, गुणवत्ता मानकों, सतत विकास, लॉजिस्टिक्स तथा निर्यात अनुपालन संबंधी चुनौतियों का समाधान करना।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) को समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप अधिक प्रतिनिधिक बनाने की आवश्यकता ने भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी पर पुनः ध्यान केंद्रित किया है।

मुख्य बिन्दु:

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता

- **अप्रतिनिधिक सदस्यता:** जब वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, तब 51 सदस्य देशों में से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, अर्थात लगभग 22%।
- आज संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश हैं, जबकि सुरक्षा परिषद में केवल 15 सदस्य हैं, जो कुल सदस्यता का 8% से भी कम है।
- **संघर्षों का समाधान करने में अक्षमता:** परिषद की वर्तमान संरचना अनेक महत्त्वपूर्ण संघर्षों का प्रभावी समाधान करने तथा अंतरराष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाए रखने में पर्याप्त सक्षम नहीं है।
- **विश्व व्यवस्था में परिवर्तन:** वर्ष 1945 के बाद वैश्विक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, इसलिए इन नई वास्तविकताओं का स्थायी सदस्यता में भी प्रतिबिम्ब होना चाहिए।
- **वीटो शक्ति:** वर्तमान में केवल पाँच स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति है, जिसके उपयोग से यूक्रेन और गाज़ा जैसे वैश्विक संकटों एवं संघर्षों पर सुरक्षा परिषद की कार्रवाई कई बार बाधित हुई है।
- परिषद के शेष 10 सदस्य दो वर्ष के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाते हैं और उन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- **शक्ति का असंतुलन:** परिषद की वर्तमान संरचना उस समय के वैश्विक शक्ति-संतुलन को अत्यधिक महत्त्व देती है।
- **वैधता का प्रश्न:** पाँच स्थायी सदस्यों, विशेषकर उनकी वीटो शक्ति के कारण, असमान रूप से अधिक शक्ति का केंद्रीकरण परिषद की निष्पक्षता एवं वैधता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC):-

- यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाए रखना है।
- इसकी पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को वेस्टमिंस्टर, लंदन में आयोजित हुई थी।
- **मुख्यालय:** न्यूयॉर्क (USA)
- **सदस्यता:** सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं।
- 5 स्थायी सदस्य (वीटो शक्ति सहित): चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका।
- **10 अस्थायी सदस्य**

अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन

- प्रत्येक वर्ष महासभा 10 में से 5 अस्थायी सदस्यों का दो वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचन करती है।

10 अस्थायी सीटों का क्षेत्रीय वितरण—

- अफ्रीकी एवं एशियाई देशों के लिए — 5 सीटें
- पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए — 1 सीट
- लैटिन अमेरिकी एवं कैरेबियाई देशों के लिए — 2 सीटें
- पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य देशों के लिए — 2 सीटें
- भारत ने अंतिम बार 2021–22 में अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में स्थान प्राप्त किया था।

स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को सुदृढ़ करने वाले कारक:-

- **जनसांख्यिकीय महत्त्व।**
- **आर्थिक शक्ति।**
- **सैन्य क्षमता।**
- **अंतरराष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा में योगदान।**
- **ग्लोबल साउथ की आवाज़।**
- **समुद्री सुरक्षा: हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका नौवहन की स्वतंत्रता तथा समुद्र के विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) एवं उससे सम्बद्ध संस्थाओं, जैसे समुद्र के विधि हेतु अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण (ITLOS), के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।**

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

भारत–तुर्किये संबंध

चर्चा में क्यों?

- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के प्रति तुर्किये के समर्थन के कारण भारत-तुर्किये संबंध निम्न स्तर पर पहुँच गए थे।

मुख्य बिन्दु:

- एक वर्ष बाद दोनों देश कूटनीतिक संवाद और सुरक्षा सहयोग के माध्यम से अपने संबंधों को पुनः सुदृढ़ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

पृष्ठभूमि:-

- **कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन:** वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद से तुर्किये के राष्ट्रपति ने अनेक अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बार-बार कश्मीर मुद्दा उठाया। तुर्किये ने पाकिस्तान के रुख का समर्थन करते हुए कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में वार्ता की वकालत की।
- पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद तुर्किये ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना करते हुए इसे “अकारण आक्रामकता” बताया।
- **पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग:** ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा तुर्किये निर्मित ड्रोन के उपयोग की रिपोर्टों ने भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को और बढ़ा दिया।

कूटनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव: भारत ने इसके उत्तर में निम्न कदम उठाए—

- साइप्रस और ग्रीस के साथ अपने संबंधों को और सुदृढ़ किया।
- एक तुर्की कंपनी के साथ एयर इंडिया के विमान रखरखाव अनुबंध को रद्द कर दिया।
- अनेक शैक्षणिक समझौता ज्ञापनों को स्थगित किया तथा तुर्किये जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 37% की कमी दर्ज की गई।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

दोनों देशों के बीच हालिया सहभागिता

- **कूटनीतिक संवाद का पुनरारम्भ:** चार वर्ष के अंतराल के बाद अप्रैल 2026 में भारत और तुर्किये ने विदेश कार्यालय परामर्श पुनः प्रारम्भ किया। इसमें व्यापार एवं निवेश, पर्यटन, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, ऊर्जा सहयोग, आतंकवाद-रोधी सहयोग तथा सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
- **सुरक्षा सहयोग:** तुर्किये ने भगोड़े मादक पदार्थ तस्कर सलीम डोला को भारत प्रत्यर्पित करने में सहयोग किया। दोनों देश अन्य प्रत्यर्पण अनुरोधों पर भी सहयोग कर रहे हैं।
- **आर्थिक सहयोग:** तुर्किये ने यह स्वीकार किया कि भारत उसका एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक भागीदार है, जिसके साथ वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
- भारत, तुर्किये से मशीनरी, संगमरमर तथा कृषि उत्पादों का एक महत्त्वपूर्ण आयातक है।
- तुर्की कंपनियाँ भारत के अवसंरचना एवं निर्माण क्षेत्र में अवसर तलाश रही हैं।
- पर्यटन एवं निवेश संबंध भी दोनों देशों के लिए आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

तुर्किये के साथ पुनः जुड़ने में भारत की रुचि:-

- **सामरिक भौगोलिक स्थिति:** तुर्किये यूरोप, पश्चिम एशिया, कॉकसस तथा मध्य एशिया के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। यह भारत की संपर्क, व्यापार एवं ऊर्जा सुरक्षा संबंधी रणनीतियों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **महत्त्वपूर्ण आर्थिक भागीदार:** दोनों देशों के बीच वार्षिक व्यापार 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। भारत तुर्किये को रसायन, वस्त्र, ऑटोमोबाइल, मशीनरी तथा औषधियों का निर्यात करता है।
- **व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा:** तुर्किये के साथ संबंध बनाए रखने से भारत को भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) तथा अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) से जुड़ी अनिश्चितताओं के बीच रणनीतिक लचीलापन प्राप्त होता है।

- **इस्लामी विश्व में प्रभाव:** तुर्किये के साथ रचनात्मक संबंध भारत को पश्चिम एशियाई एवं इस्लामी देशों के साथ अपने संबंध और अधिक सुदृढ़ करने में सहायता करते हैं।
- **तुर्किये का आश्वासन:** तुर्किये ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ उसका सैन्य सहयोग पूर्व से चले आ रहे समझौतों का हिस्सा था, न कि कोई नई सहायता। साथ ही उसने यह भी कहा कि भारत के साथ उसका कोई द्विपक्षीय विवाद नहीं है।

UTKARSH CIVIL SERVICES

कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल

चर्चा में क्यों?

- **आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर बी. रविन्द्रन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है।**

मुख्य बिन्दु:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल

- **यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर स्थापित विश्व का पहला वैश्विक वैज्ञानिक निकाय है, जो अग्रणी विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर यह मूल्यांकन करता है कि AI किस प्रकार मानव जीवन को परिवर्तित कर रही है।**

UTKARSH CIVIL SERVICES